राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(**स्टॉक**)/2017/1892 दिनांकः 31.05.2018

ई–नीलामी विज्ञप्ति

विभाग द्वारा बीकानेर जिले में खनिज बॉल क्ले के स्टॉक को ई–नीलामी से विक्रय किया जाना है। उक्त खनिज मैसर्स वी.एस. लिगनाईट पावर प्रा.लि. (एम.एल. नम्बर 48/2005) के पक्ष में खनिज लिगनाईट निकट ग्राम गुडा (इस्ट) तहसील कोलायत जिला बीकानेर में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में 2 ब्लॉक (Heap) में व्यवस्थित रूप से बैंच बनाकर रखा हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	ब्लॉक	खनिज की मात्रा	आरक्षित दर (रूपयों में)	बिड सिक्यूरिटी (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु बिड सिक्यूरिटी राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने की दिनांक व समय
1	ABCDEFA	2 लाख टन	100/– प्रति टन	4,00,000/–	20.06.2018	21.06.2018 10 AM से 1 PM तक
2	GHIJKBCDG	2 लाख टन	100/– प्रति टन	4,00,000/–	21.06.2018	22.06.2018 10 AM से 1 PM तक

दोनों ब्लॉक की स्थिति सलंग्न एनेक्चर में दर्शाये गये अक्षांतर देशांतर के अनुसार है जो कि विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com **पर उपलब्ध है जहां से डाउनलोड की जा सकती है।**

ई–नीलामी की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. खनिज की नीलामी "जहां है जैसी है" के आधार पर की जा रही है ।
2. मौके पर खनिज स्टॉक की उंचाई लगभग 40 मीटर है, जो कि 4 बैंचों में है।

3. खनिज निर्गमन हेतु उच्चतम बोलीदाता को खनिज बॉलक्ले का निर्गमन की शुरूआत सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपर की बैंच के उपरी सतह से आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा।

4. उच्चतम बोलीदाता को निर्गमन का आदेश जारी होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में 2 लाख टन खनिज आवश्यक रूप से निर्गमित करना होगा।

5. उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति के 3 कार्य दिवस में उसके द्वारा दी गई बिड राशि के अनुसार सम्पूर्ण मात्रा 2 लाख टन की बनने वाली विक्रय राशि का 5 प्रतिशत राजकोष में जमा करवाना होगा। इस राशि में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरिटी राशि समायोजन योग्य होगी। बोली समाप्ति के 3 कार्य दिवस में ही नीचे अंकित बिंदु संख्या स के क्रमांक 7 में वर्णितानुसार दस्तावेज जमा कराने होगें।

6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा 5 प्रतिशत के बराबर राशि परफोरमेन्स प्रतिभूति के रूप में (बैंक गारन्टी) निविदा समाप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में जमा करानी होगी जो कि खनि अभियंता, बीकानेर के नाम बनाई गई हो तथा 15 माह के लिए वैध हो निदेशालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बिड राशि की शेष बची हुई 95 प्रतिशत राशि अनुमति जारी करने की तिथि से आगामी 6 माह में अर्थात 6 बराबर किश्तों में अग्रिम रूप से हर माह जमा करानी होगी। विलम्ब से राशि जमा कराने पर 18 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा परन्तु यदि देय तिथि से आगामी 30 दिन तक भी अग्रिम किश्त जमा नहीं कराई जाती है तो बिना नोटिस दिये परफोरमेन्स प्रतिभूति जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की जमा राशि का रिफण्ड नहीं किया जायेगा।

8. बोली समाप्ति के 3 कार्य दिवस में उच्चतम बोलीदाता द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 अनुसार 5 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा नहीं कराये जाने अथवा वांछित दस्तावेज जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता को कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 6 के अनुसार बोली राशि के 5 प्रतिशत के बराबर परफोरमेन्स प्रतिभूति के बराबर बैंक गारन्टी निविदा समाप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि तथा 5 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता को कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।

9. खनिज के निर्गमन हेतु रॉयल्टी, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के शिड्यूल II के अनुसार अलग से देय होगी तथा डी.एम.एफ. (रॉयल्टी का 10 प्रतिशत) विभाग को देना होगा। इसके अलावा जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. (आयकर) इत्यादि अन्य कर कोई हो तो जमा कराना होगा।

10. खनिज के निर्गमन हेतु विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रिम किश्त के आधार पर रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ. की राशि एवं अन्य कर यदि हो तो अग्रिम जमा कराते हुये रवन्ना जारी की जावेगी।

11. यदि अनुज्ञाधारी एक वर्ष की अवधि में समस्त 2 लाख टन खनिज नहीं उठा पाता है तो अनुज्ञाधारी को एक वर्ष पश्चात खनिज उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा एवं इस आधार पर जमा कराई गई राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

12. अनुज्ञाधारी द्वारा प्रति माह किये गये खनिज के निर्गमन का अधिशुल्क निर्धारण प्रतिमाह के आधार पर कराना होगा एवं उसके लिये अनुज्ञाधारी को सम्बन्धित माह के अधिशुल्क निर्धारण का रेकार्ड अगले माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे खनिज निर्गमन हेतु रवन्ना नहीं दिये जायेंगे ।

अ महत्वपूर्ण बिंदुः–

1 मौके पर उपलब्ध खनिज के संबंध में बोलीदाता खनिज स्टॉक का निरीक्षण, अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर अपने स्तर पर करेगा। स्टॉक की स्थिति, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।

2 ई–नीलामी में खनिज की कीमत की बोली ली जायेगी। इसके अलावा प्रत्येक खनिज निर्गमन पर रॉयल्टी व डी.एम.एफ. अतिरिक्त देय होगा। रॉयल्टी की दरों में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ. की वृद्धि भी होगी।

3 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाईट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए पंजीयन की प्रक्रियाः–

1 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 है।

3 पंजीयन प्रकिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है। उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 10,000/– व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई–मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई–मेल से भिजवाने होगें।

स ई–नीलामीं की प्रकिया

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक बिड सिक्यूरिटी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एम. एस. टी. सी को जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा।

2 बोलीदाता द्वारा बिड सिक्युरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है । बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा। बोलीदाता को ई–नीलामी की शर्तो के सम्बन्ध में कोई संशय हो, तो वह इस कार्यालय से मार्गदर्शन मांग सकता है।

3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

4 बोली आरक्षित दर (रिर्जव प्राईज) से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

5 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।

6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 3 दिवस में लगाई गई बोली राशि का 5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि प्रथम किश्त के रूप में ई–ग्रास के माध्यम से जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज निदेशालय के प्रधान अनुभाग में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें। 5 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्यूरिटी राशि समायोजन योग्य होगी :–

i. 5 प्रतिशत जमा कराई गई राशि की चालान/रसीद की प्रति।
ii. बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
iii. बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
iv. आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
v. PAN card / TIN की सत्यापित प्रति।
vi. एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति।
vii. ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

8 अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की प्रथम किश्त जमा करा देने पर कर दिया जायेगा।

31-5-18

(डी.एस. मारू)
निदेशक

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी**(स्टॉक)**/2017/1893-1958 दिनांकः 31.05.2018

प्रतिलिपि :–

1– श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3– नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब– अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/ कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/बुंदी–II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/ झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द– सहायक खनि अभियन्ता, टौंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/ निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/ रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर।

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक (खान–मु.)

एनेक्शर

Clay Dump No. A		
Number of Pillar	Cordinate of Pillar	
	Latitude	Longitude
A	27°-51'-49.551"	72°-51'-56.818"
B	27°-51'-59.862"	72°-52'-2.057"
C	27°-51'-52.232"	72°-52'-8.186"
D	27°-51'-43.415"	72°-52'-8.898"
D'	27°-51'-43.463"	72°-52'-6.541"
E	27°-51'-43.676"	72°-52'-4.246"
F	27°-51'-45.807"	72°-51'-56.797"
A	27°-51'-49.551"	72°-51'-56.818"
TOTAL AREA	10.9101	

Clay Dump No. B		
Number of Pillar	Cordinate of Pillar	
	Latitude	Longitude
G	27°-51'-34.569"	72°-52'-12.919"
H	27°-51'-44.445"	72°-52'-13.849"
I	27°-51'-56.413"	72°-52'-14.712"
J	27°-52'-1.558"	72°-52'-12.939"
K	27°-52'-0.456"	72°-52'-6.984"
B	27°-51'-59.862"	72°-52'-2.057"
C	27°-51'-52.232"	72°-52'-8.186"
D	27°-51'-43.415"	72°-52'-8.898"
G	27°-51'-34.569"	72°-52'-12.919"
TOTAL AREA	10.7715	

भवदीय

स.खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
बीकानेर